न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 48/2025

1. अमित पुत्र सज्जन कुमार जाति जाट निवासी शेरड़ा हाल वार्ड नं0 21 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. दीपिका पुत्री सज्जन कुमार जाति जाट निवासी शेरड़ा हाल वार्ड नं0 21 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- प्रार्थीगण

बनाम

1 सज्जन कुमार पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी शेरड़ा तहसील भादरा।
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
3 आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाखा शेरड़ा।
4 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा डाबड़ी।

- अप्रार्थीगण

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थिति : वकील श्री रामजस गढ़वाल- प्रार्थीगण

वकील श्री योगेश कुमार शर्मा - अप्रार्थी संख्या 1

दिनांक : 25.06.2025

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा शेरड़ा के खाता संख्या 20/493 के खसरा नं0 767 की 10.320 है0 खसरा नं0 801 की 11.534 है0 कुल 21.854 है0 वादभूमि जिसमें वादीगण के दादा अमीलाल पुत्र लिछमणराम के नाम 2732/10927 हिस्सा तथा रोही मौजा शेरड़ा के खाता संख्या 496/475 के खसरा नं0 346 की 3.7930 है0 वादभूमि प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 1 सज्जन कुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

रोही मौजा शेरड़ा के खाता संख्या 20/493 की कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की दादालाई अविभाजित कृषि भूमि है जो वादीगण के दादा अमीलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अमीलाल की मृत्यु होने पर वादीगण के पिता सज्जन कुमार का उक्त भूमि में 1/5 हिस्सा निहित है और अप्रार्थी सज्जन कुमार के 1/5 हिस्सा में से वादीगण प्रत्येक 1/3 –1/3 हिस्सा संयुक्त हिन्दु परिवार की कृषि भूमि होने के कारण जन्म से हक हिस्सा बनता है तथा रोही मौजा शेरड़ा के खाता संख्या 496/475 की कृषि भूमि वादीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 1 सज्जन कुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि वादीगण के दादा अमीलाल ने संयुक्त परिवार की आय से खरीदकर अपने नावालिग पुत्रों सज्जन कुमार, किशनलाल व उम्मेद के नाम करवा दी। उक्त भूमि में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3–1/3 हिस्सा खातेदारी है।

अप्रार्थी सं0 1 सज्जन कुमार दुर्व्यसनों का आदी है जो अपने दुर्व्यसनों की पूर्ति के लिये बिना किसी पारिवारिक जायज जरूरत के प्रार्थी सं0 1 कृषि भूमि को रहन वैय व मुन्तकिल करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण को अपने हक व हिस्सा से वंचित करने की कोशिश में है व वादभूमि को अजनवी लोगों के वेचने की एलानिया धमकी दी है। अगर वह ऐसा करने मे कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होगी। अतः प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वादभूमि के किसी भी हिस्से को किसी भी व्यक्ति को रहन वैय या मुन्तकिल नहीं करे तथा वादभूमि को किसी बैंक या अन्य वित्तिय संस्था के रहन रखकर ऋण प्राप्त नहीं करे व यथास्थिति बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 14:05:01 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण ने जवाब में कथन किया कि उक्त वर्णित वादभूमि प्रार्थी की ना तो दादालाई सम्पत्ति है और ना ही अविभाजित है। इसलिये प्रार्थीगण का वाद भूमि में जन्म से हक हिस्सा का कथन गलत व बेबुनियाद है। वाद भूमि अप्रार्थी सज्जन कुमार की स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि है। जिसका वह अपने हिस्से का खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण ने अमीलाल द्वारा अपने नावालिग पुत्रों के नाम वाद भूमि दर्ज करवाने का कथन किया है जिसके संबंध में प्रार्थीगण के पास कोई

Scanned with CamScanner

दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है मात्र एक पीढ़ी से प्राप्त कृषि भूमि की जमाबंदियात पेश करने से प्रार्थीगण के हक अधिकार कानूनन नहीं बनते। रोही मौजा शेरड़ा के खाता संख्या 20/493 के खसरा नं0 767, 801 की कृषि भूमि आज भी अमीलाल के नाम दर्ज है जो अभी तक सज्जन कुमार को प्राप्त नहीं हुई है। प्रार्थीगण अपने दादा के नाम दर्ज कृषि भूमि सीधे प्राप्त नहीं कर सकते पहले उसका नामान्तरण मुताबिक हिन्दु उतराधिकार अधिनियम होगा। अप्रार्थी संख्या 1 सज्जन कुमार वादभूमि का खातेदार कारतकार है व उक्त कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग का अधिकार है। वादभूमि का कुछ हिस्सा आज भी अमीलाल के नाम दर्ज है जो प्रार्थीगण का दादा है प्रार्थीगण अमीलाल के प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी नहीं है। अमीलाल के प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी उसके पुत्र व पुत्रियां है। प्रार्थीगण ने महज अप्रार्थी संख्या 1 को नाहक तंग परेशान करने के लिए गलत तथ्यों के आधार पर दरख्वास्त पेश की है। अतः जवाव दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सव्यय खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि उक्त विवादित कृषि भूमि प्रार्थी के दादा द्वारा संयुक्त परिवार की आय से प्रार्थीगण के पिता के नाम खरीद किया था जो बाद में विरासतन बंटवारा पर प्रार्थीगण के पिता ने उक्त भूमि को अपने नाम रख लिया इस प्रकार विवादित भूमि हिन्दू परिवार की सहदायिकी सम्पति होने के कारण प्रार्थीगण का हक व हिस्सा निहित है। अप्रार्थी सं 01 सज्जन कुमार के द्वारा रहन बैय आदि करने पर प्रार्थीगण के हक व अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा जो न्यायोचित नहीं है अतः प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट को ताफैसला कन्फर्म किया जावें ।

वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि उक्त वर्णित वादभूमि प्रार्थी की ना तो दादालाई सम्पति है और ना ही अविभाजित है। इसलिये प्रार्थीगण का वाद भूमि में जन्म से हक हिस्सा का कथन झुठा व बेबुनियाद है। वाद भूमि अप्रार्थी सज्जन कुमार की स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि है। जिसका वह अपने हिस्से का खातेदार कास्तकार है। प्रार्थीगण ने अमीलाल द्वारा अपने नाबालिग पुत्रों के नाम वाद भूमि दर्ज करवाने का कथन किया है जिसके संबंध में प्रार्थीगण के पास कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है मात्र एक पीढ़ी से प्राप्त कृषि भूमि की जमाबंदियात पेश करने से प्रार्थीगण के हक अधिकार कानूनन नहीं बनते। रोही मौजा शेरड़ा के खाता संख्या 20/493 के खसरा नं0 767, 801 की कृषि भूमि आज भी अमीलाल के नाम दर्ज है जो अभी तक सज्जन कुमार को प्राप्त नहीं हुई है। प्रार्थीगण अपने दादा के नाम दर्ज कृषि भूमि सीधे प्राप्त नहीं कर सकते पहले उसका नामान्तरण मुताबिक हिन्दु उतराधिकार अधिनियम होगा। अप्रार्थी संख्या 1 सज्जन कुमार वादभूमि का खातेदार कास्तकार है व उक्त कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग का अधिकार है। वादभूमि का कुछ हिस्सा आज भी अमीलाल के नाम दर्ज है जो प्रार्थीगण का दादा है प्रार्थीगण अमीलाल के प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी नहीं है। अमीलाल के प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी उसके पुत्र व पुत्रियां है। प्रार्थीगण ने महज अप्रार्थी संख्या 1 को नाहक तंग परेशान करने के लिए गलत तथ्यों के आधार पर दरख्वास्त पेश की है। अतः जबाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सव्यय खारिज फरमाया जावे। अतः जबाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण सव्यय खारिज फरमाया जावे।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हमने प्रार्थना पत्र प्रार्थी, जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण, उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबंदी, शपथ पत्र का अध्ययन किया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1 **प्रथम दृष्टया मामलाः**–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण को अनुतोष प्राप्त [illegible] है चूंकि उपर्युक्त विवेचन शपथ पत्रों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि वादभूमि [illegible] संख्या 496/475 में प्रार्थीगण ने सज्जन कुमार के वारिस के तौर पर [illegible] किया है। प्रार्थीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे [illegible] हो। वादभूमि के खाता संख्या 20/493 मे वादभूमि प्रार्थीगण के दादा के [illegible] रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का संयुक्त कब्जा काश्त नहीं रहा है। प्रार्थ[illegible] विवादित आराजी का किसी भी हैसियत से काश्तकार नहीं है न ही उसे कोई कानूनी हक प्राप्त है। इससे प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के विरूद्ध सिद्ध होता है क्योंकि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी प्रार्थीगण द्वारा अपने दादा की सम्पति में हक हिस्सा चाहा गया है। अतः प्रथम दृष्टया उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में बखूबी सावित होता है तथा प्रार्थीगण इसे अपने पक्ष में सावित करने में असफल रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 14:05:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

2 **सुविधा का संतुलनः**– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया ...पार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया अप्रार्थी संख्या ... के पक्ष में साबित हो चुका है साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 ने यह प्रस्तुत किया कि उक्त आराजी में मिन की स्वअर्जित सम्पति भी शामिल है। चुंकि प्रार्थीगण न तो रेकॉर्डेट खातेदार है न ही भूमि प्रार्थीगण के कब्जे में है और उसके पक्ष में निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थी सं0 1 अपनी खातेदारी भूमि के नियमित उपयोग उपभोग से वंचित होगे। इस प्रकार सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थीगण के खिलाफ प्रतित होता है जबकि अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में साबित है। अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्रों, दस्तावेजों के आधार पर तथा प्रथम दृष्टया मामला भी पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में और प्रार्थीगण के खिलाफ साबित होता है।

3 **अपूर्णीय क्षतिः**– उक्त प्रार्थना पत्र के आलौक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थीगण के विरूद्व साबित हुए है। प्रार्थीगण का उक्त वादभूमि में किसी भी प्रकार का कब्जा काश्त व अपने हक अधिकार होने का तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः उक्त बिन्दू भी प्रार्थीगण के खिलाफ साबित होता है।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति साबित नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट को खारिज किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Kalpit

(कल्पित शिवरान) R.A.S.
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्य पालक मजिस्ट्रेट भादरा (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.07.10 14:05:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner